राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 302 एवं 303/2018.....जिला.....जयपुर.....

मैसर्स पिताम्बर सॉलवेक्स प्रा0लि0, 24–ए, गुरू जम्भेश्वर नगर–बी, गांधीपथ, वैशाली नगर, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन राजस्थान, वृत तृतीय जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/03/2018	**खण्डपीठ** **श्री के.एल.जैन, सदस्य** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री पंकज घीया एवं विभाग की ओर से श्री डी.पी.ओझा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। यह चारों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2018 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 18, 25, 55 व 61(2) के तहत् कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 14.12.2017 द्वारा कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों में से शेष बकाया राशि रूपयों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह चारों अपीलें धारा 38(4) सहपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।	

अपील सं.	वित्तीय वर्ष	कुल मांग राशि	अपीलीय अधि. द्वारा स्थगित राशि	शेष बकाया मांग राशि
1	2	3	4	5
302/18	14–15	2,32,69,678	1,36,88,046	95,81,632
303/18	15–16	1,95,70,064	1,19,32,966	76,37,098

विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा किये गये समस्त खरीद संव्यवहार वास्तविक लेखा पुस्तकों में दर्ज है तथा बिक्री विवरण प्रपत्रों में घोषित है। संव्यवहार के समय अपीलार्थी द्वारा देय कर का भुगतान विक्रेता को किया गया और इस राशि का आईटीसी क्लेम किया गया। अधिनियम की धारा 18 के अनुसार अपीलार्थी आईटीसी प्राप्त करने की पात्रता रखता है। खरीद से संबंधित समस्त विवरण कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश कर दिये गये थे। अतः प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित बकाया मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी एवं बकाया मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निर्णयों तक स्थगित करने का निवेदन किया।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/03/2018	उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन के पश्चात, यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अपीलार्थी द्वारा किये गये समस्त खरीद संव्यवहार वास्तविक लेखा पुस्तकों में दर्ज है। संव्यवहार के समय अपीलार्थी द्वारा देय कर का भुगतान विक्रेता को किया गया और इस राशि का आईटीसी क्लेम किया गया। विभाग के राजविस्टा सिस्टम पर वैट–07 एवं वैट–08 का मिलान एवं सत्यापन हो रहा है। अधिनियम की धारा 18 के अनुसार अपीलार्थी आईटीसी प्राप्त करने की पात्रता रखता है। खरीद से संबंधित समस्त विवरण कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश कर दिये गये थे। अतः प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है तथापि उक्त आदेश सुनवाई के दौरान अपील के तथ्यों के गुणावगुण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार करते हुए शेष वसूली योग्य मांग राशि, जो कि उपरोक्त तालिका के <u>कॉलम संख्या–5</u> में अंकित है, की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। दोनों स्थगन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	

अजमेर